

भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2203
04 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2203. श्री मनोज कोटक :

श्रीमती चिंता अनुराधा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) रक्षा क्षेत्रों में देश को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है;
- (ग) रक्षा वस्तुओं के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी हेतु कौन से क्षेत्र शामिल हैं और भारतीय रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) आगामी वर्षों में रक्षा उत्पादों में एफडीआई को आकर्षित करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

- (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

**लोक सभा में दिनांक 04 मार्च 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए
अतारांकित प्रश्न संख्या 2203 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित
विवरण**

(क) से (घ) : मई 2001 में, रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो अब तक केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित था, को 26 % तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की शतप्रतिशत भागीदारी हेतु खोल दिया गया है जिसमें दोनों लाइसेंस प्रदान किए जाने के अध्यधीन हैं । इसके अलावा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्रेस नोट संख्या 5(2016 श्रृंखला) के तहत स्वचालित मार्ग के जरिए 49 % तक एफडीआई और जहां कहीं आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनने की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों के लिए सरकारी मार्ग के जरिए 49 % से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने की अनुमति दी है । रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में प्रचालनरत 79 कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अब तक, सरकारी और स्वचालित दोनों मार्ग के अंतर्गत दिसम्बर 2019 तक 1834 करोड़ रुपए से अधिक एफडीआई प्राप्त होने की रिपोर्ट मिली है । रक्षा क्षेत्र में अधिक एफडीआई की अनुमति देकर, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस वैश्विक कंपनियों को भारतीय कम्पनियों के साथ सहयोग से भारत में अपना विनिर्माण बेस स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी तथा स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा । रक्षा हेतु अपेक्षित उपस्करों, हथियार प्रणालियों/प्लेटफार्मों का स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकास और उत्पादन करने के लिए आवश्यक कुछ प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने में एफडीआई, उद्योग के लिए उपलब्ध स्रोतों में से एक है ।

डीपीआईआईटी द्वारा अधिसूचित प्रेस नोट 1(2019 श्रृंखला) के अनुसार, विभिन्न रक्षा मदों जैसे टैंकों और अन्य सतही वाहनों, रक्षा विमान, रक्षा अन्तरिक्षयान और उसके कलपुर्जों, मानवरहित वायुयानों (यूएवी), सैन्य प्रयोजनार्थ अभिकल्पित मिसाइलों, सभी प्रकार के युद्धपोतों, उच्च वेग गतिज ऊर्जा हथियार प्रणालियों और संबंधित उपस्करों, सैन्य अनुप्रयोगों हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों, कवचित अथवा संरक्षी उपस्करों, इमेजिंग अथवा काउन्टरमेजर उपस्करों और अन्य विविध उपस्करों के लिए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाते हैं । सरकार द्वारा भारतीय रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-1** पर संलग्न है ।

**लोक सभा में दिनांक 04 मार्च 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए
अतारांकित प्रश्न संख्या 2203 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित
अनुबंध**

सरकार द्वारा भारतीय रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

- i. रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) को 2016 में संशोधित किया गया है जिसमें घरेलू रक्षा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने हेतु विशिष्ट प्रावधान लागू किए गए हैं ।
- ii. रक्षा उपस्कर के स्वदेशी डिजाइन और विकास को बढ़ावा देने हेतु डीपीपी-2016 में अधिप्राप्ति की एक नई श्रेणी 'खरीदो {भारतीय-आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित एवं विनिर्मित)}' की शुरुआत की गई है । पूंजीगत उपस्करों की अधिप्राप्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है । इसके अलावा, 'खरीदो (वैश्विक)' और 'खरीदो एवं बनाओ (वैश्विक)' श्रेणियों की तुलना में पूंजीगत अर्जन की 'खरीदो (भारतीय)', 'खरीदो एवं बनाओ(भारतीय)' एवं 'बनाओ' श्रेणियों को वरीयता प्रदान की गई है ।
- iii. एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है और संशोधित नीति के अंतर्गत, 49 प्रतिशत तक एफडीआई स्वचालित मार्ग के अंतर्गत और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो अथवा रिकार्ड किए जाने वाले अन्य कारणों हेतु 49 प्रतिशत से अधिक एफडीआई सरकारी मार्ग के जरिए अनुमत है ।
- iv. अप्रैल, 2018 में रक्षा के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (आईडेक्स) शीर्षक से रक्षा के लिए एक नवाचार पारिप्रणाली शुरू की गई है । आईडेक्स का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट अप्स, वैयक्तिक नवाचार, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शैक्षिक संस्थानों सहित उद्योगों को शामिल कर रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिप्रणाली का सृजन करना है और उन्हें अनुसंधान और विकास कार्य जिसकी भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस आवश्यकताओं के लिए भविष्य में अपनाने की संभावना हो, के लिए अनुदान/निधीयन एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराना है ।

- v. 'बनाओ' प्रक्रिया को सरलीकृत बनाया गया है जिसमें भारतीय उद्योग के लिए 90% विकास लागत का वित्त-पोषण सरकार द्वारा करने और अधिकतम 10 करोड़ रूपए की विकास लागत वाली परियोजनाओं को सरकार द्वारा वित्त-पोषित मेक-1 तथा प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ रु. की अधिप्राप्ति लागत वाली परियोजनाओं को एमएसएमई के लिए आरक्षित करने हेतु प्रावधान किए गए हैं। अधिकतम 3 करोड़ रु. की विकास लागत वाली उद्योग द्वारा वित्तपोषित मेक-11 परियोजनाओं तथा प्रत्येक वर्ष 50 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को भी एमएसएमई के लिए आरक्षित रखा गया है।
- vi. रक्षा उपस्करों के स्वदेशी विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'बनाओ-11' श्रेणी हेतु अलग प्रक्रिया अधिसूचित की गई है। अनेक पर्यावरण हितैषी प्रावधान जैसे पात्रता मानदंड में छूट, न्यूनतम दस्तावेजीकरण, उद्योग/व्यक्ति आदि द्वारा स्वतः सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु प्रावधान इत्यादि लागू किए गए हैं।
- vii. सरकार ने 'सामरिक साझेदारी (एसपी) माडल' अधिसूचित किया है जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय संस्थाओं के साथ दीर्घकालिक सामरिक साझेदारियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है जिनमें वे प्रौद्योगिकी अंतरणों के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) के साथ गठजोड़ करेंगे ताकि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें।
- viii. सरकार ने संघटकों और रक्षा प्लेटफार्मों में प्रयुक्त स्पेयर्स के स्वदेशीकरण के लिए मार्च 2019 में एक नीति अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य एक उद्योग पारिप्रणाली का सृजन करना है जो महत्वपूर्ण संघटकों (मिश्र धातुओं और विशेष सामग्रियों) और भारत में विनिर्मित रक्षा उपस्करों और प्लेटफार्म के लिए सब-असेम्बली के स्वदेशीकरण में सक्षम हो।
- ix. सरकार ने देश में आर्थिक विकास और रक्षा उद्योग आधार की वृद्धि के इंजन के रूप में कार्य करने के लिए दो रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाने का निर्णय लिया है। ये तमिलनाडु में चैन्ने, होसूर, कोयम्बटूर, सालेम और तिरुचिरापल्ली तक फैले हुए हैं और उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) में अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर चित्रकूट और लखनऊ तक फैले हैं।

- x. तीसरे पक्ष की भागदारी के साथ निरीक्षण सेवाओं के प्रभावी प्रशासन के लिए और एमएसएमई और निजी क्षेत्र के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए, मई 2018 में 'थर्ड पार्टी निरीक्षण सेवाओं के उपयोग' पर एक नीति अधिसूचित की गई है।
- xi. हस्ताक्षरित संविदाओं में भी भारतीय ऑफसेट भागीदारों (आईओपी) और ऑफसेट संघटकों में परिवर्तन की अनुमति देकर ऑफसेट दिशानिर्देशों को उदार बनाया गया है। विदेशी मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओईएम) को अब संविदाओं पर हस्ताक्षर करने के बाद आईओपी और उत्पादनों का ब्यौरा देने की अनुमति है। ऑफसेट निर्वहन प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए मई 2019 में "ऑफसेट पोर्टल" का सृजन किया गया है।
- xii. मंत्रालय ने नवंबर 2018 में 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' नामक एक नई रूपरेखा तैयार की है जिसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- xiii. फरवरी 2018 में मंत्रालय में, निवेश के अवसर प्रक्रियाओं से संबंधित प्रश्नों और सेक्टर में निवेश के लिए विनियामक आवश्यकताओं सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए रक्षा निवेशक सैल बनाया गया।
- xiv. औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले रक्षा उत्पादों की सूची को युक्तिसंगत बनाया गया है और अधिकांश पार्ट्स या संघटकों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आईडीआर अधिनियम के तहत दी गई औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता को मामला-दर-मामला आधार पर तीन साल और आगे बढ़ाने के प्रावधान के साथ 3 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है।
